बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।

संकल्प

पटना– 15, दिनांक–

श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर सम्प्रति निलंबित, के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–10–2284/गो0 दिनांक–29.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिला कल्याण कार्यालय, बक्सर से छात्रवृत्ति की राशि 2,10,13,100/–(दो करोड़ दस लाख तेरह हजार एक सौ) रूपये का फर्जी निकासी कर आठ फर्जी विद्यालयों में भुगतान करने संबंधी मामलें में गंभीर कदाचार, वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के गबन का आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त मामले में बक्सर नगर थाना कांड सं0–277/16 दिनांक–30.06.16 दर्ज किया गया है। श्री त्रिपाठी बक्सर नगर थाना कांड सं0–277/16 दिनांक–30.06.16 में धारा 409/420/166 (ए)/120 (बी) भा0द0वि0 के अन्तर्गत केन्द्रीय कारा, बक्सर में दिनांक–20.08.16 से कारावासित हैं।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) के तहत श्री त्रिपाठी को कारावास की तिथि, दिनांक–20.08.16 के प्रभाव से निलंबित किया गया। विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0–20 दिनांक–13.02.17 द्वारा श्री त्रिपाठी के विरूद्ध बक्सर नगर थाना कांड सं0–277/16 दिनांक–30.06.16 में धारा 409/420/166 (ए)/120 (बी) भा0द0वि0 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–10–2284/गो0 दिनांक–29.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रतिवेदन के आधार पर श्री त्रिपाठी के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया। श्री त्रिपाठी से उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक–3368 दिनांक–30.12.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। अधीक्षक, केंद्रीय कारा, बक्सर के पत्रांक–1208 दिनांक–25.04.2017 के माध्यम से श्री त्रिपाठी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री त्रिपाठी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री त्रिपाठी के विरूद्ध संलग्न अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है। उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर सम्प्रति निलंबित (कारावासित– केन्द्रीय कारा, बक्सर) को निदेश दिया जाता है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, कारा मैनुअल के प्रावधानों का पालन करते हुए उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

6. कंडिका 4 के आलोक में माननीय विभागीय मंत्री एवं सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

22-8-17

(गौतम पासवान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3जी/(आरोप)–राज0–10–25/2016–2126 **पटना, दिनांक–** 23.8.17

प्रतिलिपि– अनुबंध की प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी–सह– विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2178 दिनांक–28.02.2007 के आलोक में श्री राकेश कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0 :– (1) प्रपत्र 'क' में गठित आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) की छायाप्रति।
(2) श्री त्रिपाठी के स्पष्टीकरण की छायाप्रति–पत्रांक –1208 दिनांक–25.04.2017

22.8.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

3– पुलिस अधीक्षक, बक्सर।

4– संयुक्त सचिव, प्रभारी स्थापना शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।

5– माननीय मंत्री, अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के आप्त सचिव।

6– जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर।

7– श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर सम्प्रति निलंबित, (कारावासित– केन्द्रीय कारा, बक्सर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.8.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3जी/(आरोप)–राज0–10–25/2016–2126 **पटना, दिनांक–** 23.8.17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से श्री राकेश कुमार त्रिपाठी को पत्र का तामिला कराने की कृपा की जाय।

22.8.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3जी/(आरोप)–राज0–10–25/2016–2126 **पटना, दिनांक–** 23.8.17

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.8.17

सरकार के संयुक्त सचिव।